उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

गुरुवार, 23 श्रावण, शक संवत् 1947
(14 अगस्त, 2025)

1-संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1956 के नियम-59 (9) के अन्तर्गत ''विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश'' विषय पर दिनांक 13 अगस्त, 2025 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनवरत् चर्चा जारी।

2-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

3-उप मुख्य मंत्री, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की दशा दिन-प्रतिदिन गिरने के सम्बन्ध में सर्वश्री किरण पाल कश्यप, लाल बिहारी यादव, राजेन्द्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, (डा0) मान सिंह यादव, मो0 जासमीर अंसारी, शाह आलम, मुकुल यादव व श्री शाहनवाज खान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2025 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

4-पर्यटन मंत्री, जनपद-जौनपुर में केराकत तहसील के विकास खण्ड-जलालपुर, ग्राम हरीपुर चकपाली में भगवान भोलेनाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

5-पर्यटन मंत्री, जनपद-बहराइच में नगर पंचायत-कैसरगंज के वार्ड संख्या-6 कटरियहाडीह में घाघरा बांध के किनारे हजारों वर्ष प्राचीन राम जानकी मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश शर्मा व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

6-उप मुख्य मंत्री, प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 कोर्स की निजी मेडिकल कालेजों में निर्धारित की गयी फीस वृद्धि को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

7-उप मुख्य मंत्री, जनपद बहराइच में नगर पंचायत-कैसरगंज में ठाकुर हुकुम सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं महिला चिकित्सालय पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन तथा ट्रामा सेन्टर की स्थापना करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकान्त महेश्वरी व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

8-उप मुख्य मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत कस्बा-मैगलगंज एन0एच0-30 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री रजनीकान्त महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

9-उप मुख्य मंत्री, जनपद-झांसी महानगर के वार्ड नं0-05 एवं वार्ड नं0-23 में सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 बाबूलाल तिवारी व श्री श्रीचन्द शर्मा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

10-पशुधन मंत्री, प्रदेश में रजिस्टर्ड गौशालाओं को दूसरी किस्त दिये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 जासमीर अंसारी व श्री मुकुल यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

11-पर्यटन मंत्री, जनपद-बाराबंकी में विकास खण्ड-हैदरगढ़ के अन्तर्गत ग्राम व पोस्ट-गेरावां में स्थित बाबा निर्वाणदास मठस्थली का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण करवाये जाने

के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री रजनीकान्त महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

12-मुख्य मंत्री, जनपद-कानपुर नगर के औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग लाइसेन्स अथॉरिटी असिस्टेंट कमिश्नर (डी0एल0ए0) को कार्यालय में दिये गये मेडिकल स्टोर के लाइसेन्स की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अविनाश सिंह चौहान व श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

13-उप मुख्य मंत्री, जनपद-लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय में संविदा महिला चिकित्सक (डा0 अनुभालाल) द्वारा प्रदेश के अन्य जनपदों से आने वाले गरीब निर्धन मरीजों के साथ आपत्तिजनक भाषा तथा अभद्रता किये जाने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह व डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

14-उप मुख्य मंत्री, जनपद सोनभद्र में मानक विहीन अस्पतालों एवं पैथोलॉजी सेन्टरों के संचालन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार की मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जाँच करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 मान सिंह यादव व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

15-पर्यटन मंत्री, जनपद-बहराइच के विकास खण्ड-जरवल के अन्तर्गत कटका एवं ग्राम-बिरथाना में सरयू नदी के तट का सौन्दर्यीकरण एवं विस्तार का कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष सिंह व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

16-पर्यटन मंत्री, जनपद-लखनऊ की मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सुभाष मार्ग स्थित छांछी कुआं हनुमान जी मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकान्त महेश्वरी व श्री मुकेश शर्मा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

17-उप मुख्य मंत्री, जनपद-सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार के आधार पर अवैध नर्सिंग होम, पैथालॉजी, एक्स-रे, अल्ट्रासाउन्ड के मानक रहित खुलेआम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री अक्षय प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

18-पर्यटन मंत्री, जनपद-पीलीभीत के पौराणिक एवं धार्मिक गोमती नदी के उद्गम को धर्म क्षेत्र घोषित कर पर्यटन और आस्था के केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित तथा जल को स्पर्श करने के लिये बनी सीढ़ियों, झूले आदि को अविलम्ब ठीक करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त' व डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

19-पर्यटन मंत्री, जनपद अलीगढ़ के निजामाबाद तहसील में विकास खण्ड-तहबरपुर के ग्राम-गडहन बुजुर्ग में स्थित आस्था के केन्द्र भगवान शिव मन्दिर के जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण तथा जलाशय में सीढ़ियों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकान्त महेश्वरी व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

20-उप मुख्य मंत्री, जनपद-हरदोई के विकास खण्ड-कछौना में स्थित सी0एच0सी0 कछौना में अल्ट्रासाउण्ड मशीन चलवाये जाने हेतु अटेन्डेन्ट उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक अग्रवाल व डा0 प्रज्ञा त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

21-उप मुख्य मंत्री, प्रदेश में कोरोना काल में खरीदे गये वेंटिलेटर के संचालन हेतु चिकित्सालयों में सीनियर चिकित्सकों के साथ रेजिडेंट, नर्सिंग स्टॉफ और टेक्नीशियनों की भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

22-आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-लखीमपुर खीरी के जिला मुख्यालय पर एक 50 बेड का आयुर्वेद चिकित्सालय एवं वेलनेस सेन्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

23-पर्यटन मंत्री, जनपद-झांसी के नगर पंचायत-मोठ के अन्तर्गत स्थित प्राचीन शीतला माता मन्दिर का सौन्दर्यीकरण तथा अन्य पर्यटन विकास हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 बाबू लाल तिवारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

24-उप मुख्य मंत्री, जनपद-गाजियाबाद के अन्तर्गत संजय नगर स्थित संयुक्त जिला चिकित्सालय के लिफ्ट को यथाशीघ्र ठीक कराये जाने एवं जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार गोयल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

25-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-ढेरा, ग्राम पंचायत-महाराजगंज, विकास खण्ड मोंठ, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से शमशान घाट का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

26-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-वॉसार, विकास खण्ड-बंगरा, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से सामुदायिक भवन (विवाह घर) का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

27-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-नवादावन, विकास खण्ड व तहसील-फरीदपुर, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

28-श्री कुँवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-बहेटा बुजुर्ग, विकास खण्ड-मझगवां, तहसील-आंवला, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

29-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-पड़रिया तुला, विकास खण्ड-बिजुआ, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

30-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम रंगीला नगर, विकास खण्ड-नकहा, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

31-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-लोलपुर, विकास खण्ड-नवाबगंज, जनपद-गोण्डा के निवासियों की ओर से सड़कों, नालियों व बारात घर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

32-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-उमरिया, विकास खण्ड-नवाबगंज, जनपद-गोण्डा के निवासियों की ओर से सड़कों, नालियों, बारात घर, अमृत सरोवर का पक्का घाट, इण्टरलॉकिंग, पंचायत भवन व आंगनबाड़ी केन्द्र की बाउण्ड्रीवाल एवं ओपेन जिम का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'झ')

33-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत बालाजी इन्क्लेव, लेन नम्बर-7, मुतक्कीपुर, आई0आई0एम0 रोड (निकट प्रधान मैरिज हॉल), जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क, नाली व सीवर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ञ')

34-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-निवादा, विकास खण्ड-कसमण्डा, जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ट')

35-श्री राम चन्द्र प्रधान, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत गोकुलनगर, विकास खण्ड-सरोजनीनगर, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से वृद्धाश्रम के पास इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ठ')

36-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम व पोस्ट-पलिगढ़, तहसील-मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद-मऊ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ड')

37-श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2024 की बैठक में प्रस्तुत संकल्प पर विचार जारी :-

> ''इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश सरकार की नगरीय विस्तारीकरण की महत्वाकांक्षी योजना में बाधक बने भू-माफियाओं पर अंकुश लगाते हुये कठोर कार्यवाही की जाय।''

38-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में प्रस्तुत संकल्प पर विचार प्रारम्भ :-

> ''इस सदन का निश्चित मत है कि विधान मण्डल सदस्यों को क्षेत्र विकास हेतु मिलने वाली विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को जी0एस0टी0 से बाहर रखते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया जाय।''

39-श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में प्रस्तुत संकल्प पर विचार प्रारम्भ :-

''इस सदन का निश्चित मत है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक शोभा एवं मानव स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण की सुरक्षा, विकास का अनिवार्य भाग है।''

40-राष्ट्रगान ''जन-गण-मन''। (देखिये नत्थी 'ढ')

लखनऊ :
गुरुवार, 23 श्रावण, शक संवत् 1947
(14 अगस्त, 2025)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	3-4-2025
*2	3-4-2025
*3	8-4-2025
*4	8-4-2025
*5	15-5-2025
*6	18-6-2025
*7	15-7-2025
*8	28-7-2025
*9	28-7-2025
*10	28-7-2025
*11	28-7-2025
*12	28-7-2025
*13	28-7-2025

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	8-4-2025
2	11-4-2025
3	11-4-2025
4	11-4-2025
5	11-4-2025
6	15-4-2025
7	15-4-2025
8	15-4-2025
9	16-4-2025
10	16-4-2025
11	16-4-2025
12	24-4-2025
13	24-4-2025
14	24-4-2025
15	30-4-2025
16	30-4-2025
17	30-4-2025
18	30-4-2025
19	2-5-2025
20	2-5-2025
21	2-5-2025
22	2-5-2025
23	2-5-2025
24	2-5-2025
25	6-5-2025
26	6-5-2025
27	6-5-2025
28	8-5-2025
29	16-5-2025
30	28-5-2025
31	9-6-2025
32	16-6-2025
33	16-6-2025
34	16-6-2025
35	15-7-2025
36	22-7-2025
37	25-7-2025

नत्थी 'क'

गुरुवार, दिनांक 14 अगस्त, सन् 2025 ई0

तारांकित प्रश्न

प्रयागराज और झांसी मण्डल के जिला चिकित्सालयों व कार्मिकों के निरीक्षण के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 1 — उप मुख्य मंत्री

*1-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि विभाग द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 15 मार्च, 2025 तक प्रयागराज और झांसी मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जिला चिकित्सालयों में कब-कब शासन स्तर व मुख्यालय स्तर पर नियुक्त कार्मिकों का निरीक्षण किया गया है ?

(ख) क्या निरीक्षण के दौरान जिला चिकित्सालयों में कोई खामियां भी पायी गयी हैं ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के संचालन के सम्बन्ध में

श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह
2

आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*2-(क) क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना कराये जाने हेतु विधान परिषद् के प्रथम सत्र 2025 के द्वितीय गुरुवार हेतु निर्धारित श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-07 के उत्तर के बिन्दु 'ग' में बताया गया है कि उक्त अस्पताल का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में बजट आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक उक्त प्रक्रिया को पूर्ण कराते हुए उक्त अस्पताल के संचालन की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर अस्पताल का संचालन करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं तो क्यों ?

जनपद-देवरिया में विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों से लिये गये नमूने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
3

मुख्य मंत्री

*3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों से लिये गये नमूने, असुरक्षित पाये जाने पर जनपद देवरिया में दर्ज हुए मुकदमों की संख्या विगत 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कुल कितनी थी ?

(ख) इन दर्ज मुकदमों में से जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी न्यायालयों से निस्तारित किये गये मुकदमों में जुर्माने की धनराशि प्रति मुकदमें कितनी-कितनी है ?

(ग) क्या भ्रष्टाचार के आधार पर जुर्माने की धनराशि अति न्यून कर दी जाती है ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जिला चिकित्सालयों में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
4

उप मुख्य मंत्री

*4-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जिला चिकित्सालयों में कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं और कितने रिक्त हैं ?

(ख) उक्त का सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के शैक्षणिक संवर्ग के संकाय सदस्यों को संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के चिकित्सा शिक्षकों की भाँति संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 5 — उप मुख्य मंत्री

*5-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के शैक्षणिक संवर्ग के संकाय सदस्यों को संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के चिकित्सा शिक्षकों की भाँति संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ अनुमन्य है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त लाभ कब तक दिया जायेगा ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद सहारनपुर में स्थित ढामोला नदी के समीप बसे गांवों में कैंसर रोग के मरीजों के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 6 — उप मुख्य मंत्री

*6-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर स्थित ढामोला नदी के समीप बसे गांवों में कैंसर रोग के मरीजों में बढ़ोत्तरी आयी है जिसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(ख) क्या ढामोला नदी के समीप सभी गांवो में कैम्प लगवाकर वहाँ के समस्त मरीजों की निःशुल्क जाँच करावायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश में District Early Intervention Center (DEIC) की स्थापना हेतु अनुदान व पदों के सम्बन्ध में

श्री तारिक मंसूर 7 — उप मुख्य मंत्री

*7-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि U.P. में कितने District Early Intervention Center (DEIC) केन्द्र हैं तथा किन-किन जिलों में है एवं इनकी स्थापना कब हुई ?

(ख) प्रत्येक District Early Intervention Center (DEIC) केन्द्रों को उनकी स्थापना के समय एक वित्तीय वर्ष में कितना अनुदान दिया गया था ?

(ग) वित्तीय वर्ष 2024-2025 में प्रत्येक District Early Intervention Center (DEIC) केन्द्रों के लिये अनुदान की राशि क्या है ?

(घ) प्रत्येक District Early Intervention Center (DEIC) केन्द्रों के लिये कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ?

मानक सेवा नियमावली, 2014 अधिसूचना सं0वि0वे0नि0 प्रोष्ठ 189/दस-2014-11-2013 लखनऊ, दिनांक 22-09-2014 के आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथ विभाग में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 8 — आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*8-(क) क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि मानक सेवा नियमावली, 2014 अधिसूचना सं0वि0वे0नि0 प्रोष्ठ 189/दस-2014-11-2013 लखनऊ, दिनांक 22-09-2014 के क्रम में आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथ विभाग में कब से लागू है ?

(ख) क्या उक्त निदेशालय में 15 वर्षों से ज्यादा समय से कार्यरत कार्यालय सहायकों का स्थानान्तरण न किया जाना सरकार की घोषित स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

जनपद बस्ती में खाद्य पदार्थों के लिये गये नमूनों से सम्बन्धित मुकदमों के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 9 — मुख्य मंत्री

*9-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों से लिये गये नमूने, असुरक्षित पाये जाने पर जनपद बस्ती में दर्ज हुए मुकदमों की संख्या विगत 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कुल कितनी थी ?

(ख) इन दर्ज मुकदमों में से जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी न्यायालयों से निस्तारित किये गये मुकदमों में जुर्माने की धनराशि प्रति मुकदमें कितनी-कितनी है ?

(ग) क्या भ्रष्टाचार के आधार पर जुर्माने की धनराशि अति न्यून कर दी जाती है ?

(घ) यदि हां, तो क्या इसकी उच्च्य स्तरीय जांच कराकर जांच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु यू0बी0आई0 अटेंडेंस हेतु राज्य स्तर से संस्था के चयन के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 10 — उप मुख्य मंत्री

*10-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु यू0बी0आई0 अटेंडेंस हेतु राज्य स्तर से संस्था के चयन व भुगतान के लिए कोई शासनादेश जारी किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या शासनादेश की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो वहाँ ग्वालियर की संस्था कैसे कर रही है और उसका भुगतान कैसे अब तक किया गया है ?

जनपद-इटावा के ग्राम पंचायत हेवरा में सरकारी अस्पताल के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 11 — *11-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद इटावा के ग्राम पंचायत हेवरा में सरकारी अस्पताल कब से है तथा इस समय ग्राम पंचायत से अस्पताल की दूरी कितनी है ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि कोई अस्पताल नहीं है तो क्या ग्राम पंचायत हेवरा में अस्पताल स्थापित करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी में और जनपद-कौशाम्बी के तहसील चायल में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 12 — *12-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी में और जनपद कौशाम्बी के तहसील चायल में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कौन-कौन सी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की गयी है ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं तो क्यों ?

इटावा के मोती झील अस्पताल में डॉक्टरों के पदों के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 13 — *13-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि इटावा के मोती झील अस्पताल में कितने डॉक्टरों के पद हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि रिक्त पद हैं, तो रिक्त पदों पर कब तक भर्ती करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्न

डा0 मान सिंह यादव 1	1-(क) क्या आयुष मंत्री परिषद् के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित डॉ0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-7 के खण्ड (ख) के क्रम में बतायेंगे कि उक्त चिकित्सालय के निर्माण का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त चिकित्सालय के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया हैं तथा शुक्लागंज में कहाँ पर कराया जा रहा है ? (ग) यदि नहीं, तो कब तक उसे पूर्ण कराकर जनता के लिए खोल दिया जायेगा ?	आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 2	2-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों से लिये गये नमूने, असुरक्षित पाये जाने पर जनपद अमेठी में दर्ज हुए मुकदमों की संख्या विगत 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कुल कितनी थी ? (ख) इन दर्ज मुकदमों में से जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी न्यायालयों से निस्तारित किये गये मुकदमों में जुर्माने की धनराशि प्रति मुकदमें कितनी-कितनी है ? (ग) क्या भ्रष्टाचार के आधार पर जुर्माने की धनराशि अति न्यून कर दी जाती है ? (घ) यदि हाँ, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?	मुख्य मंत्री
श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 3	3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों से लिये गये नमूने, असुरक्षित पाये जाने पर जनपद अम्बेडकरनगर में दर्ज हुए मुकदमों की संख्या विगत 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कुल कितनी थी ? (ख) क्या इन दर्ज मुकदमों में से जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी न्यायालयों से निस्तारित किये गये मुकदमों में जुर्माने की धनराशि प्रति मुकदमें कितनी-कितनी है ? (ग) क्या भ्रष्टाचार के आधार पर जुर्माने की धनराशि अति न्यून कर दी जाती है ?	मुख्य मंत्री

(घ) यदि हाँ, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 4	4-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों से लिये गये नमूने, असुरक्षित पाये जाने पर जनपद अयोध्या में दर्ज हुए मुकदमों की संख्या विगत 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कुल कितनी थी ? (ख) इन दर्ज मुकदमों में से जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी न्यायालयों से निस्तारित किये गये मुकदमों में जुर्माने की धनराशि प्रति मुकदमे कितनी-कितनी है ? (ग) क्या भ्रष्टाचार के आधार पर जुर्माने की धनराशि अति न्यून कर दी जाती है ? (घ) यदि हाँ, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 5	5-(क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद फतेहपुर, तहसील-बिन्दकी, ग्राम-अमौली, मोहल्ला-अमौली में रजिस्ट्रेशन संख्या-314310890232, 314310885467 व अन्य कितने व्यक्तियों द्वारा विधवा पेंशन दिये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं और कितने व्यक्तियों को वर्तमान में उक्त राशि का लाभ प्राप्त हो रहा है ? (ख) यदि हां, तो क्या उक्त लाभार्थियों के खातों में पेंशन दे दी गयी है ? (ग) यदि हाँ, तो कब ? (घ) यदि नहीं, तो शेष बचे लाभार्थियों की पेंशन कब तक खाते में भेज दी जायेगी ?	महिला कल्याण मंत्री
श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 6	6-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि-विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों से लिये गये नमूने, असुरक्षित पाये जाने पर जनपद श्रावस्ती में दर्ज हुए मुकदमों की संख्या विगत 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कुल कितनी थी ? (ख) इन दर्ज मुकदमों में से जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी न्यायालयों से निस्तारित किये गये मुकदमों में जुर्माने की धनराशि प्रति मुकदमें कितनी-कितनी है ?	मुख्य मंत्री

(ग) क्या भ्रष्टाचार के आधार पर जुर्माने की धनराशि अति न्यून कर दी जाती है ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 7	7-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों से लिये गये नमूने, असुरक्षित पाये जाने पर जनपद बहराइच में दर्ज हुए मुकदमों की संख्या विगत 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कुल कितनी थी ? (ख) इन दर्ज मुकदमों में से जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी न्यायालयों से निस्तारित किये गये मुकदमों में जुर्माने की धनराशि प्रति मुकदमें कितनी-कितनी है ? (ग) क्या भ्रष्टाचार के आधार पर जुर्माने की धनराशि अति न्यून कर दी जाती है ? (घ) यदि हाँ, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?	मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 8	8-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर, ब्लाक-कसमण्डा में स्थित राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सीय जांच की सुविधा न होने से क्षेत्र के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु पैथालॉजी का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 9	9-(क) क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-सिधौली, ग्राम-कंडौरा स्थित कंडेश्वर महादेव मन्दिर में बाउण्ड्री न होने से अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है एवं श्रद्धालुओं व ग्रामीणों को परेशानी होती है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मन्दिर के प्रांगण की बाउण्ड्री का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन मंत्री

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 10	10-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों से लिये गये नमूने असुरक्षित पाये जाने पर जनपद बलरामपुर में दर्ज हुए मुकदमों की संख्या विगत 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कुल कितनी थी ? (ख) इन दर्ज मुकदमों में से जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी न्यायालयों से निस्तारित किये गये मुकदमों में जुर्माने की धनराशि प्रति मुकदमे कितनी-कितनी है ? (ग) क्या भ्रष्टाचार के आधार पर जुर्माने की धनराशि अति न्यून कर दी जाती है ? (घ) यदि हाँ, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?	मुख्य मंत्री
श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 11	11-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों से लिये गये नमूने असुरक्षित पाये जाने पर जनपद गोण्डा में दर्ज हुए मुकदमों की संख्या विगत 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कुल कितनी थी ? (ख) इन दर्ज मुकदमों में से जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी न्यायालयों से निस्तारित किये गये मुकदमों में जुर्माने की धनराशि प्रति मुकदमे कितनी-कितनी है ? (ग) क्या भ्रष्टाचार के आधार पर जुर्माने की धनराशि अति न्यून कर दी जाती है ? (घ) यदि हाँ, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?	मुख्य मंत्री
श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 12	12-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों से लिये गये नमूने, असुरक्षित पाये जाने पर जनपद सन्तकबीरनगर में दर्ज हुए मुकदमों की संख्या विगत 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कुल कितनी थी ? (ख) इन दर्ज मुकदमों में से जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी न्यायालयों से निस्तारित किये गये मुकदमों में जुर्माने की धनराशि प्रति मुकदमे कितनी-कितनी है ? (ग) क्या भ्रष्टाचार के आधार पर जुर्माने की धनराशि अति न्यून कर दी जाती है ?	मुख्य मंत्री

(घ) यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर जांच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 13	13-(क) क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-77/BJPUP/2025, दिनांक 20-03-2025, जनपद आजमगढ़ के ग्राम हीरापट्टी में स्थित 110 वर्ष पुराने चित्रगुप्त महाराज जी के पौराणिक मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित था ? (ख) उक्त प्रेषित पत्र कब प्राप्त हुआ व पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ? (ग) क्या ग्राम हीरापट्टी में स्थित 110 वर्ष पुराने चित्रगुप्त महाराज जी के पौराणिक मन्दिर का सौन्दर्यीकरण करायेंगे ? (घ) यदि हां, तो कब ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन मंत्री
श्री राम सूरत राजभर 14	14-(क) क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-मिर्जापुर के ग्राम करसड़ा (सगरा), पो0-कछवाँ में माता शीतला का एक अति प्राचीन मन्दिर है, जो जीर्ण-शीर्ण हो गया है ? (ख) क्या क्षेत्रवासियों एवं ग्रामीणों की धार्मिक भावना के दृष्टिगत उक्त मन्दिर का पुनर्निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यटन मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 15	15-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-पहला में स्वास्थ्य केन्द्र पर डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? (ख) उक्त समस्या के निदान हेतु डॉक्टरों की नियुक्ति करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री

श्री पवन कुमार सिंह
16

16-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-रामपुर मथुरा में स्वास्थ्य केन्द्र पर डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) उक्त समस्या के निदान हेतु डॉक्टरों की नियुक्ति करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह
17

17-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-रामपुर मथुरा में स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में अल्ट्रासाउण्ड मशीन न होने से क्षेत्र के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु स्वास्थ्य केन्द्र में अल्ट्रासाउण्ड मशीन की व्यवस्था करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह
18

18-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-महमूदाबाद में स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में अल्ट्रासाउण्ड मशीन न होने से क्षेत्र के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु स्वास्थ्य केन्द्र में अल्ट्रासाउण्ड मशीन की व्यवस्था करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह
19

19-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-मिश्रिख के नैमिषारण्य स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों की कमी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर डॉक्टरों की नियुक्ति करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 20	20-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-मिश्रिख स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों की कमी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर डॉक्टरों की नियुक्ति करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 21	21-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-महमूदाबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति न होने से गम्भीर रोगों से पीड़ित मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 22	22-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-सिधौली में स्थित राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सीय जांच की सुविधा न होने से क्षेत्र के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु पैथालॉजी का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 23	23-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि जिला प्रतापगढ़ में चल रहे सरकारी चिकित्सालय तथा	उप मुख्य मंत्री

मेडिकल कालेज में कार्डियक अरेस्ट के कौन-कौन से उपचार किये जाते हैं तथा कितने उपकरण उपलब्ध हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो कितने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गयी है तथा अब तक कितने मरीजों का प्रतिदिन उपचार हो रहा है ?

(ग) क्या जनपद में बढ़ते हुये हृदय रोगों के मरीजों के दृष्टिगत समुचित विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव
24

24-(क) क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि बृजकिशोर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल अयोध्या में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के कुल कितने पद सृजित हैं ?

आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) उक्त सृजित पदों पर लगभग 6 वर्षों से संविदा पर कौन-कौन कार्यरत है ?

(ग) कितने संविदा कर्मी उक्त पदों पर तैनात हैं ?

(घ) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री पवन कुमार सिंह
25

25-(क) क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि बृजकिशोर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय अयोध्या में लोक सेवा अयोग उ0प्र0 से कुछ पदों पर नियमित तैनाती कर दी गयी है और दूसरे कार्यरत शिक्षकों को हटा दिया गया है ?

आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या उक्त शिक्षकों को हटा देने से कॉलेज में प्रवेशित छात्रों के पठन-पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

(ग) यदि हाँ, तो हटाये गये शिक्षकों की पुनः नियुक्ति कब तक करायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह
26

26-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड बिसवां में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर शल्य चिकित्सक की नियुक्ति न होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

उप मुख्य मंत्री

	(ख) उक्त समस्या के निदान हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिसवां पर शल्य चिकित्सक की नियुक्ति करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
श्री पवन कुमार सिंह 27	27-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-सकरन में सांडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जो तहसील मुख्यालय से लगभग 15 किमी0 दूर है, अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था न होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 28	28-(क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के ग्राम-गजराजखेड़ा एवं जनपद-रायबरेली के ग्राम सातनपुर में रजिस्ट्रेशन संख्या-313111016952 व 313310858092 द्वारा विधवा पेंशन दिये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं ? (ख) यदि हां, तो क्या उक्त लाभार्थियों के खातों में पेंशन भेज दी गयी है ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	महिला कल्याण मंत्री
श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 29	29-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छिबरामऊ जनपद-कन्नौज में स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध 10 वर्ष से अधिक से कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ? (ख) उक्त चिकित्सकों के नाम एवं उनकी तैनाती की अवधि क्या है ? (ग) स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध तैनात चिकित्सकों का स्थानान्तरण कब तक करायेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री

डा0 मान सिंह यादव 30	30-(क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद उन्नाव, तहसील-पुरवा, ब्लाक-हिलौली के ग्राम-गजराजखेड़ा में रजिस्ट्रेशन संख्या-313110904222 व 313310895452 के विधवा पेंशन दिये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त लाभार्थियों के खातों में पेंशन भेज दी गयी है ? (ग) यदि हाँ, तो कब ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	महिला कल्याण मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 31	31-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में महमूदाबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक न होने से क्षेत्रीय लोगों को असुविधा होती है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु स्वास्थ्य केन्द्र पर हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 32	32-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-मिश्रिख में नैमिषारण्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हड्डी रोग चिकित्सक की नियुक्ति न होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) क्या उक्त समस्या के निदान हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हड्डी रोग चिकित्सक की नियुक्ति करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 33	33-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि सीतापुर के विकास खण्ड-मिश्रिख में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बाल रोग चिकित्सक की नियुक्ति न होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?	उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या उक्त समस्या के निदान हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बाल रोग चिकित्सक की नियुक्ति करायेंगे ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 34

34-(क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ, वार्ड-डालीगंज के निराला नगर से विधवा पेंशन के आवेदन संख्या-313221463592 के साथ ही दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से दिनांक 12 जून, 2025 तक कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ? — महिला कल्याण मंत्री

(ख) क्या उक्त आवेदनकर्ताओं के खाते में विधवा पेंशन भेज दी गयी है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 35

35-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि दिनांक 12 जून, 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर पद बाल रोग विभाग राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ई0डब्लू0एस0 (इकोनॉमिकली वीकर सेक्सन) के अन्तर्गत साक्षात्कार हेतु कितने चिकित्सक बुलाये गये ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) ई0डब्लू0एस0 के तहत जिन चिकित्सकों ने साक्षात्कार दिया उनके प्राप्तांक क्या-क्या हैं ?

(ग) क्या उक्त अभ्यर्थियों की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) क्या उक्त चयन प्रक्रिया में जिन चिकित्सकों ने साक्षात्कार दिया है, उन्हें ही चयनित किया गया है ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

(च) उक्त चयन प्रक्रिया में जिन-जिन चिकित्सकों/अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उन्हें कब तक नियुक्त करायेंगे ?

डा0 मान सिंह यादव 36

36-(क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के तहसील सदर, नगर पालिका-गंगाघाट में रजिस्ट्रेशन सं0-313120995822 के साथ ही दिनांक 01 जनवरी, 2025 — महिला कल्याण मंत्री

से दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कितनी निराश्रित महिलाओं ने विधवा पेंशन के आवेदन किये हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त निराश्रित महिलाओं की पेंशन उनके खातों में भेज दी गयी है ?

(ग) यदि हां, तो कब ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 37	37-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में किन-किन रोगों के अधिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है ?	उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या उक्त रोगों की रोकथाम हेतु सरकार कोई योजना बनाकर कोई कार्यवाही कर रही है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम–213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

मानानीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :–जनपद–झांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड–मोंठ के ग्राम पंचायत–महाराजगंज (ढेरी–ढोरा) में शमशान घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद–झांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड–मोंठ, ग्राम पंचायत–महाराजगंज (ढेरी–ढोरा) के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत के दोनों ग्रामों में कोई शमशान घाट नहीं है। वहां के निवासियों को मृत्यु उपरान्त अन्तिम संस्कार हेतु नदी किनारे लेकर जाना पड़ता है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद–झांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड–मोंठ के ग्राम पंचायत–महाराजगंज (ढेरी–ढोरा) में शमशान घाट का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

––––––

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-झांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बंगरा के ग्राम पंचायत-वॉसार में सामुदायिक भवन (विवाह घर) बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-झांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बंगरा, ग्राम पंचायत-वॉसार के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन (विवाह घर) न होने के कारण स्थानीय निवासियों को विवाह एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-झांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बंगरा के ग्राम पंचायत-वॉसार में सामुदायिक भवन (विवाह घर) बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
10 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बरेली के अन्तर्गत तहसील व विकास खण्ड-फरीदपुर के ग्राम-नवादावन में होली चौराहा से श्री ज्ञानेश चन्द्र शर्मा के घर तक लगभग 100 मीटर जर्जर सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम-नवादावन, विकास खण्ड व तहसील-फरीदपुर, जनपद-बरेली के निवासी हैं। हमारे गांव के होली चौराहा से श्री ज्ञानेश चन्द्र शर्मा के घर तक लगभग 100 मीटर सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त अवस्था में है। जिसके कारण वहां के निवासियों को आवागमन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा बरसात के समय दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। गांव के निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम-नवादावन में होली चौराहा से श्री ज्ञानेश चन्द्र शर्मा के घर तक लगभग 100 मीटर जर्जर सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
10 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बरेली के अन्तर्गत तहसील-आंवला, विकास खण्ड-मझगवां के ग्राम-बहेटा बुजुर्ग में श्री तुलसीराम के घर से श्री रामदास कश्यप के घर तक लगभग 200 मीटर जर्जर सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम-बहेटा बुजुर्ग, विकास खण्ड-मझगवां, तहसील-आंवला, जनपद-बरेली के मूल निवासी हैं। हमारे गांव के श्री तुलसीराम के घर से श्री रामदास कश्यप के घर तक लगभग 200 मीटर सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण स्थानीय निवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। गांव के निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-बरेली के अन्तर्गत तहसील-आंवला, विकास खण्ड-मझगवां, के ग्राम-बहेटा बुजुर्ग में श्री तुलसीराम के घर से श्री रामदास कश्यप के घर तक लगभग 200 मीटर जर्जर सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
08 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिजुआ, ग्राम पंचायत-पड़रिया तुला के लखीमपुर भीरा राजमार्ग से ठाठ नानकसर गुरूद्वारा साहिब तक लगभग 500 मीटर इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिजुआ, ग्राम पंचायत-पड़रिया तुला कस्बे की पूरब दिशा में के0यू0के0 इण्टर कालेज के निकट ठाठ नानकसर गुरूद्वारा साहिब स्थित है, जोकि पूरे ग्राम पंचायत के आस्था का प्रमुख धार्मिक स्थल है, लखीमपुर भीरा मार्ग से गुरूद्वारा साहिब को जाने वाल मुख्य मार्ग लगभग 500 मीटर मार्ग बहुत जर्जर अवस्था में होने के कारण वहां के निवासियों को आवागमन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा बरसात के समय दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। गांव के निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिजुआ, ग्राम पंचायत-पड़रिया तुला के लखीमपुर भीरा राजमार्ग से ठाठ नानकसर गुरूद्वारा साहिब तक लगभग 500 मीटर इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-नकहा, ग्राम-रंगीला नगर के मुख्य मार्ग पर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-नकहा, ग्राम-रंगीला नगर के निवासी हैं। ग्राम-रंगीला नगर के मुख्य मार्ग काफी जर्जर अवस्था में है। उक्त मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण आये दिन मार्ग पर दुर्घटना घटित होती है तथा आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव के निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-नकहा, ग्राम-रंगीला नगर के मुख्य मार्ग पर सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड-नवाबगंज, ग्राम पंचायत-लोलपुर के 05 मजरों में इण्टरलॉकिंग रोड, सी0सी0 सड़क, नाला निर्माण तथा बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-लोलपुर, विकास खण्ड-नवाबगंज, जनपद-गोण्डा के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत के 05 मजरों में उक्त मार्गों पर इण्टरलॉकिंग रोड, सी0सी0 सड़क, नाला तथा बारात घर का निर्माण कार्य न होने के कारण वहाँ के ग्रामवासियों को कच्चे मार्गों पर आने-जाने तथा विवाह व अन्य कार्यक्रम करने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र तथा मौखिक रूप से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड-नवाबगंज, ग्राम पंचायत-लोलपुर के 05 मजरों में इण्टरलॉकिंग रोड, सी0सी0 सड़क, नाला निर्माण तथा बारात घर बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'झ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड-नवाबगंज, ग्राम पंचायत-उमरिया में (इण्टरलॉकिंग रोड, सी0सी0 रोड, नाली निर्माण, ओपेन जिम स्थापना, बारात घर, पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र की बाउण्ड्रीवाल) कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-उमरिया, विकास खण्ड-नवाबगंज, जनपद-गोण्डा के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-उमरिया के 14 मजरों में निम्नलिखित कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में :-

1-ग्राम पंचायत-उमरिया में अमृत सरोवर पर पक्का घाट एवं लगभग-250 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड का कार्य,

2-रीवा पक्की सड़क से पंचायत भवन तक सी0सी0 सड़क बनवाये जाने हेतु,

3-ग्राम पंचायत-उमरिया में अनुसूचित बस्ती में लगभग-500 मीटर नाला निर्माण कार्य,

4-ग्राम पंचायत-उमरिया में बारात घर बनवाये जाने हेतु,

5-ग्राम पंचायत के तीनों राजस्व ग्रामों में ओपेन जिम स्थापना का कार्य,

6-ग्राम पंचायत-उमरिया के पंचायत भवन की बाउण्ड्रीवाल बनवाये जाने हेतु,

7-ग्राम पंचायत-उमरिया के आंगनबाड़ी केन्द्र की बाउण्ड्रीवाल कराये जाने हेतु।

ग्राम पंचायत-उमरिया के 14 मजरों में उक्त कार्यों को कराये जाने हेतु स्थानीय प्रशासन से प्रार्थना-पत्र व मौखिक रूप से कई बार अनुरोध किया गया है, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड-नवाबगंज, ग्राम पंचायत-उमरिया में (इण्टरलॉकिंग रोड, सी0सी0 रोड, नाली निर्माण, ओपेन जिम स्थापना, बारात घर, पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र की बाउण्ड्रीवाल) कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ञ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत बालाजी इन्क्लेव लेन नं0-7 (सात) मुतक्कीपुर, आई0आई0एम0 रोड (नियर प्रधान मैरिज हॉल) के पास उक्त मार्ग पर सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण बालाजी इन्क्लेव लेन नं0-7 (सात) मुतक्कीपुर, आई0आई0एम0 रोड (नियर प्रधान मैरिज हॉल) जनपद लखनऊ के मूल निवासी हैं। हमारे कालोनी की रोड पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त अवस्था में है। उक्त मार्ग श्री सुभाष चन्द्र के म0नं0-56 से सिकरवार चौराहे तक व श्री अवनीश बाजपेयी तथा श्री अंशू अवस्थी के घर से सिकरवार चौराहे तक तथा श्री मोहन त्रिपाठी के घर से सिकरवार चौराहे तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराने व नाली, सीवर लाइन की व्यवस्था कराया जाना अति आवश्यक है। बरसात के दिनों में यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पानी भर जाने के कारण मार्ग पर बने गड्ढे भी नहीं दिखाई देते हैं। स्थानीय प्रशासन से कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-लखनऊ के बालाजी इन्क्लेव लेन नं0-7 (सात) मुतक्कीपुर, आई0आई0एम0 रोड (नियर प्रधान मैरिज हॉल) श्री सुभाष चन्द्र के म0नं0-56 से सिकरवार चौराहे तक व श्री अवनीश बाजपेयी तथा श्री अंशू अवस्थी के घर से सिकरवार चौराहे तक तथा श्री मोहन त्रिपाठी के घर से सिकरवार चौराहे तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराने व नाली, सीवर लाइन की व्यवस्था कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ट'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-कसमण्डा में ग्राम पंचायत-निवादा होते हुए गुजरा ललवा सम्पर्क मार्ग एवं बलदीपुरवा से होते हुये श्री सुरेन्द्र बघेल के मकान तक लगभग 02 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-सीतापुर विकास खण्ड-कसमण्डा में ग्राम पंचायत-निवादा होते हुये गुजरा ललवा सम्पर्क मार्ग एवं बलदीपुरवा से होते हुये श्री सुरेन्द्र बघेल के मकान तक लगभग 02 किलोमीटर का मार्ग कच्चा है। उक्त मार्ग पर बरसात के समय आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-कसमण्डा में ग्राम पंचायत-निवादा होते हुए गुजरा ललवा सम्पर्क मार्ग एवं बलदीपुरवा से होते हुये श्री सुरेन्द्र बघेल के मकान तक लगभग 02 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ठ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड-सरोजनीनगर के गोकुलनगर में स्थित वृद्धाश्रम के पास इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड-सरोजनीनगर के गोकुलनगर के मूल निवासी हैं। गोकुलनगर में स्थित वृद्धाश्रम के आस-पास उक्त मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। बरसात के दिनों में उक्त मार्ग पर जल भराव व कीचड़ हो जाने से आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगणों द्वारा जिला स्तर पर कई बार पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड-सरोजनीनगर के गोकुलनगर में स्थित वृद्धाश्रम के पास इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ड'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-मऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड-रानीपुर के ग्राम व पोस्ट-पलिगढ़ में श्री बिपिन सिंह के घर से श्री शिवप्रसाद श्रीवास्तव के घर तक लगभग 200 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम व पोस्ट-पलिगढ़ तहसील-मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद-मऊ में श्री बिपिन सिंह के घर से श्री शिवप्रसाद श्रीवास्तव के घर तक लगभग 200 मीटर सार्वजनिक मार्ग न होने के कारण समस्त ग्रामवासियों को बरसात के दिनों में आने-जाने में कठिनाईयों सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-मऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड-रानीपुर के ग्राम व पोस्ट-पलिगढ़ में श्री बिपिन सिंह के घर से श्री शिवप्रसाद श्रीवास्तव के घर तक लगभग 200 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ढ'

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिंध–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) द्वारा मुद्रित।